

31  
3 4  
10 11  
17 18 1  
25 2  
Notes

पुनर्जात आदेश सं० 256 / 1995.

अपील/मैमोरियल के निष्पादन के सम्बन्ध में ।

बिहार पुलिस इन्स्टी, 1978 के नियम 853 के अन्तर्गत में बरखास्तगी, सेवा च्युति प्रकृत च्युति आदेश के विरुद्ध अपील अन्वयित पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील मैमोरियल रक्षा महापरीक्षक सम्प्रति महापरीक्षा एवं आरक्षी महापरीक्षा के वर्दी विचारार्थ अनुमान्य । किन्तु पुलिस आदेश संख्या 203/88 को अर्द्धि 2 में अपील मैमोरियल के निष्पादन का अधिकार प्रेक्षणीय आरक्षी महापरीक्षा को दिया गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामले में आदेश/निर्देश दिये गये हैं कि बिहार पुलिस इन्स्टी, 1978 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत में आरक्षी महापरीक्षा सम्प्रति महापरीक्षा एवं आरक्षी महापरीक्षा ही अपील मैमोरियल पर निर्णय लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी हैं ।

2. ऐसी स्थिति में जबकि बिहार पुलिस इन्स्टी नियम में संशोधन नहीं हो जाता है तबतक आरक्षी उच्च महापरीक्षा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील मैमोरियल महापरीक्षा एवं आरक्षी महापरीक्षा, बिहार के वर्दी हा विचारार्थ संपर्कित किया जाएगा क्योंकि बिहार पुलिस इन्स्टी नियम के अनुसार वे ही सक्षम पदाधिकारी हैं । तदनुसार पुलिस आदेश सं० 203/88 को अर्द्धि 2 में प्रेक्षणीय आरक्षी महापरीक्षा को अपील मैमोरियल पर निष्पादन को जो शक्ति प्रदान की गयी है उसे निरस्त किया जाता है ।

*(Signature)*  
19/8/95

जी० पी० दोहरे

महापरीक्षा एवं आरक्षी महापरीक्षा, बिहार,  
पटना ।

आपका 2903 / सं-2 महापरीक्षा एवं आरक्षी महापरीक्षा का कार्यालय, बिहार ।  
दिनांक 20-10-94 पटना, दिनांक 19 अगस्त, 1995 ।

प्रतिनिधि :- सभी प्रेक्षणीय आरक्षी महापरीक्षा/आरक्षी महापरीक्षा, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/आरक्षी महापरीक्षा, रेलवे/आरक्षी महापरीक्षा, सशस्त्र बल/सभी क्षेत्रीय आरक्षी उच्च महापरीक्षा रेलवे सड़क/सभी आरक्षी उच्च महापरीक्षा, बिहार सेन्स पुलिस/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समाक्रेटा/सभी रेलवे आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उच्च महापरीक्षा/खादया, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष जोषांग, अपराध अनुसंधान विभाग/सहायिता जोषांग को सूचनाई एवं तदनुसार कार्यवाही दियार्थ ।

*(Signature)*  
19-8-95

आरक्षी महापरीक्षा के महापरीक्षा निरोक्षणा, बिहार,  
पटना ।

श्राराम/19-8/95.